रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092020-221872
CG-DL-E-22092020-221872

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2020/भाद्र 31, 1942
No. 466] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2020/BHADRA 31, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2020

आय-कर

सा.का.नि. 574(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 195 और पहली अनुसूची के नियम 5 के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (21वां संशोधन), नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 29ख में,-

(क) **"बैंककारी कंपनी"** शब्दों के स्थान पर, जहां जहां वे आते हैं, "बैंककारी कंपनी या बीमाकर्ता" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण.– इन नियमों के प्रयोजन के लिए, "बीमाकर्ता" का वही अर्थ होगा जो बीमा अधिनियम, 1939 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (9) के उपखंड (घ) में है"।

3. मूल नियम के प्ररूप 15ग के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप सं. 15ग
[नियम 29ख देखें]

कर की कटौती के बिना ब्याज और अन्य राशियों की प्राप्ति के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 195(3) के अधीन प्रमाणपत्र के लिए किसी बैंककारी कंपनी या बीमाकर्ता द्वारा आवेदन

सेवा में,
निर्धारण अधिकारी,
.....

श्रीमान्,

मैं,जो.....का प्रधान अधिकारी हूं, यह घोषणा करता हूं कि – [बैंककारी कंपनी या बीमाकर्ता का नाम]

(क) .....एक बैंककारी कंपनी / बीमाकर्ता है, जो न तो कोई भारतीय कंपनी है और न ही ऐसी कोई कंपनी है, जिसने भारत के भीतर लाभांशों की घोषणा और संदाय के लिए विहित व्यवस्था की है और जो.....में स्थित शाखा (शाखाओं) के माध्यम से भारत में कार्य कर रही है;

(ख) उक्त कंपनी या बीमाकर्ता का प्रधान कार्यालय.....में स्थित है; [स्थान और कंपनी का नाम]

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त कंपनी या बीमाकर्ता आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन प्रभार्य ब्याज [(प्रतिभूतियों पर ब्याज (प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न)] और ऐसी अन्य राशियां जो लाभांश नहीं हैं, प्राप्त करने के लिए हकदार है;

(घ) कंपनी, आय-कर नियम, 1962 के नियम 29ख में अधिकथित सभी शर्तों को पूरा करती है।

अतः, मैं अनुरोध करता हूं कि उक्त कंपनी या बीमाकर्ता को, वित्तीय वर्ष.....के दौरान आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 195 की उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती के बिना [(प्रतिभूतियों पर ब्याज (धारा 193 के परंतुक में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर संदेय ब्याज से भिन्न)] ब्याज और ऐसी अन्य को जो लाभांश नहीं है, प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करने वाला एक प्रमाणपत्र जारी किया जाए । मैं यह घोषणा करता हूं कि इस आवेदन में जो कुछ कहा गया है वह ठीक है।

हस्ताक्षर

तारीख..... पता.....'' ।

[अधिसूचना सं0 75/2020/फा0सं0 370142/8/2020-टीपीएल]
अंकित जैन, अवर सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं0 का0आ0 969(अ),तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग **II**, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 508(अ). तारीख 17.08.2020 द्वारा संशोधित किए गए थे ।